कार्यालय, डीन एकेडमिक अफेयर्स,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

क्रं0: आरटीयू / एफ(17)04 / अका0 / 2022 / 8617-24 दिनांकः 15 / 02 / 2023

<u>कार्यालय आदेश</u>

27वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या 27.21 के 41वीं प्रबंध मण्डल बैठक के बिन्दु सं0 41.5 पर अनुमोदनोपरान्त राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा ऑटोनोमस स्टेट्स हेतु प्रस्तुत आवेदन के अग्रेषण एवं प्रोसेसिंग हेतु शुल्क रू0 1,00,000 / – निर्धारण की एतद्द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है। उक्त शुल्क की देयता ऑटोनोमस रेग्यूलेशन के नियम आर–13(4) के अधीन होगी।

ऑटोनोमस स्टेटस जारी होने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रतिवर्ष सम्बद्धता शुल्क की राशि आदेश क्रं0 एफ(3) / लेखा / 132 / 14वीं वित्त समिति / 2015–16 / 1510–35, दिनांक 21.07.2015 के अनुरूप लिया जाना प्रस्तावित है जिसके कि ऑटोनोमस रेग्यूलेशन के नियम आर–13 (3) के अनुसार दो स्वरूप होंगें :

(i) संस्थान सम्बद्धता शुल्क नियम एफ(3) / लेखा / 132 / 14वीं वित्त समिति / 2015–16 / 1510–35, दिनांक 21.07.2015 के अधीन प्रतिवर्ष शुल्क जमा कराये।

या

(ii) संस्थान द्वारा 10 वर्षों का सम्बद्धता शुल्क नियम एफ(3) / लेखा / 132 / 14वीं वित्त समिति / 2015–16 / 1510–35, दिनांक 21.07.2015 के अधीन एकमुश्त जमा कराया जाये साथ ही संस्थान द्वारा नये पाठ्यक्रम प्रारंभ करने अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि / कमी पर पूर्व में जारी सम्बद्धता शुल्क नियम एफ(3) / लेखा / 132 / 14वीं वित्त समिति / 2015–16 / 1510–35, दिनांक 21.07.2015 के अधीन संस्थान पर शुल्क देयता यथावत रहेगी।

हस्ता0
अधिष्ठाता, अकादमिक अफेयर्स

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :
1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय
2. कुलसचिव महोदय
3. वित्त नियंत्रक
4. समस्त डीन, राज0 तक0 विश्व0 कोटा
5. परीक्षा नियंत्रक
6. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान
7. वेबमास्टर
8. गार्ड फाईल

उप–कुलसचिव, अका0 अफे0